रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय जी,

निवेदन है कि ग्राम केवरपुरा प० ह० देवपुरा की जमाबंदी संवत 2073-76 की खाता सं. 94 में आगलाती खाते में खातेदार का नाम कजोड़ पिता पृथ्वीराज दर्ज रेकार्ड है जबकि पहचान स्थानीय आधार कार्ड में कजोड़लाल दर्ज है अतः ग्राम केवरपुरा की जमाबंदी संवत 2073-76 की खाता सं. 94 में कजोड़ के बजाय कजोड़लाल दर्ज किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

पटवारी

18/5/18

रिपोर्ट पटवारी द्वारा उपयुक्त / ग्राम के जावदा के अनुसार आगे कजोड़ पि० पृथ्वीराज की जगह पर कजोड़लाल पि. पृथ्वीराज दर्ज किया जाना उचित है।

तहसीलदार
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

प्रा.-पत्र 209/18
18/5/18

आदेश

18/05/2018 हस्ब राय तहसीलदार रावतभाटा के आधार पर ग्राम केवरपुरा प०ह० देवपुरा अ.नि. जावदा की जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता सं. 94 में कजोड़ पि० पृथ्वीराज के बजाय कजोड़लाल पि० पृथ्वीराज दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

Scanned by CamScanner